न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 56 / 2023 **दायर दिनांकः 22 / 06 / 2023**

रजि0 नं0—2023 / 111

उनवान

1. निर्मल कुमार आयु 37 वर्ष पुत्र शिवप्रसाद जाति मीणा
2. कोमल आयु 25 वर्ष पुत्र शिवप्रसाद जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू
3. रीना आयु 29 वर्ष पुत्री शिवप्रसाद जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू
4. अर्चना आयु 20 वर्ष पुत्री शिवप्रसाद जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. शिवप्रसाद आयु 56 वर्ष पुत्र रामप्रसाद जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू
2. सत्यनारायण पुत्र शिवचरण जाति गुसाई निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. शाखा प्रबंधक महोदय एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा अटरू जिला बारां राज0।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 92ए आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा
प्रतिवादीः— प्रतिवादी क्रम 1 स्वयं
पेरोकार सरकार प्रतिवादी क्रम 4

निर्णय

दिनाकः 27 / 07 / 2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 92ए. आर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0 में कृषि भूमि आराजी जमाबन्दी खाता संख्या 373 के ख0नं0 27 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 28 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 30 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 35 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 58 का रकबा 1.32 है0, ख0नं0 59 का रकबा 4.46 है0,

ख0नं0 634 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 635 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 971 का रकबा 0.05 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 6.57 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 7/20 हिस्सा दर्ज खाता है एवं खाता संख्या 358 के ख0नं0 256 का रकबा 0.58 है0, ख0नं0 257 का रकबा 0.51 है0, ख0नं0 688 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 689/1511 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 690/1533 का रकबा 0.38 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.92 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

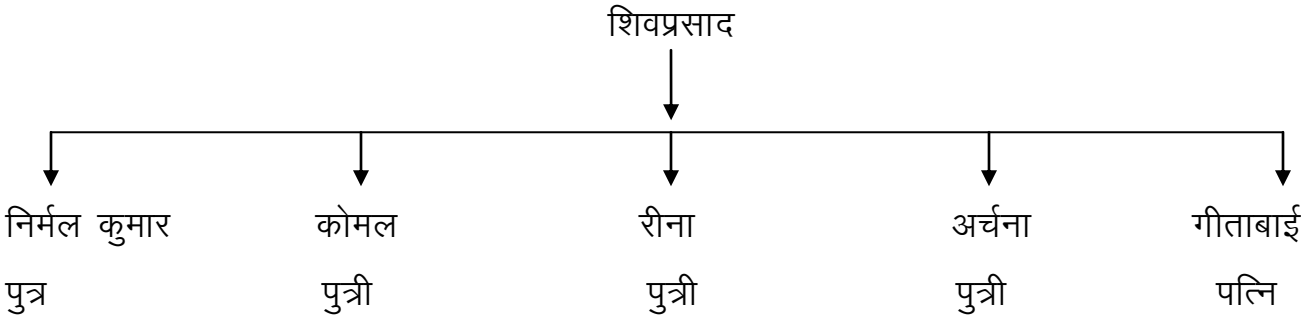

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पैतृक है जो प्रतिवादी क्रम 1 को उनके पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। वादीगण के पिताजी की उक्त वर्णित आराजी में विरासत में प्राप्त हुई है। वादीगण के पिताजी की उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का जन्म से अधिकार प्राप्त है। वादीगण के पिताजी प्रतिवादी क्रम 1 उक्त वर्णित आराजी को कहीं रहन एवं बैचान करना चाहता है जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर वह ऐसा करते है तो वादीगण के नैसर्गिक अधिकारों का हनन होगा। अतः वादीगण को अधिकार है कि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते की उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का हिस्सा समभाग खातेदार कृषक घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दज्र करवाने के अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं है। यदि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आराजी खाते दज्र होने का फायदा उठाकर आराजी को बेचान कर दिया जो वादीगण को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर प्राप्त चले आ रहे हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा जिसके फलस्वरूप वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी। अस्तु वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 373 किता 9 रकबा 6.57 है0 में वादीगण का हिस्सा 28/100 तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 7/100 तथा खाता संख्या 358 किता 5 रकबा 1.

92 है0 आराजी में वादीगण का हिस्सा 4/5 तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/5 समभाग रूप से खातेदार कृषक के रूप में दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा बैंक का रहन यथावत वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से पर दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद प्रथम बार दिनांक 16.05.2023 को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आराजी को बैचान करने पर आमादा होने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 18.06. 2023 को आराजी बैचान करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। वादीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी.पी.सी. का रजि0 नोटिस मियदी 2 माह प्रेषित करवा दिया है। लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को बैचान करने पर आमादा है। यदि नोटिस की अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया गया और प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आराजी को बैचान कर दिया तो वादीगण द्वारा बाद में वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेगा। इस वजह से वादीगण का वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस अवधि समाप्त होने से पूर्व ही धारा 80 (2) सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर वाद की नियमित सुनवाई की जावे। प्रतिवादी क्रम 2 सहखातेदार होने से उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार दर्ज किया गया है लेकिन प्रतिवादी क्रम 2 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपने खाते की आराजी को प्रतिवादी क्रम 3 के यहां रहन रखकर ऋण प्राप्त कर रखा है। इसलिए बैंक को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 3 दर्ज किया गया है। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने तथा वाद घोषणा खातेदारी का होने की वजह से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी तहसीलदार अटरू को उक्त वाद में प्रतिवादी क्रम 4 को आवश्यक पक्षकार दर्ज किया गया है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वादीगण वाद प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 373 किता 9 रकबा 6. 57 है0 में वादीगण का हिस्सा 28/100 तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 7/100 तथा खाता संख्या 358 किता 5 रकबा 1.92 है0 आराजी में वादीगण का हिस्सा 4/5

तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/5 समभाग रूप से खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किया जावे।

(ब) यह कि बाद घोषणा बैंक के रहन का नोट समभाग में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से पर अंकित किया जावे।

(स) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ने स्वयं उपस्थित होकर इकबाली जवाब पेश कर कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण वाद पत्र स्वीकार है। प्रतिवादी द्वारा कभी कोई लडाई झगडा नहीं किया है। प्रतिवादी क्रम 1 सिर्फ अपने नोशनल हिस्से 1/5 का ही बैचान करना चाहता है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 की पैतृक सम्पत्ति है जो मुझे विरासत में मिली है। प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण को उनके नोशनल हिस्से 4/5 पर काश्त करने से कभी नहीं रोका। यदि वादीगण को हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार उनके नोशनल हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे तो प्रतिवादी क्रम 1 को कोई आपत्ति नहीं है। अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 1 राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को प्रतिवादी क्रम 1 के साथ सहखातेदार के रूप में समभाग में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित करने की कृपा करें।

प्रतिवादी क्रम 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी क्रम 4 पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर प्रतिवादी क्रम 1 की विवादित आराजी पर वादीगण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार खातेदारी अधिकार दिये जाने पर सहमति व्यक्त की एवं आदेशिका पर सहमती हस्ताक्षर किये

3. वादीगण द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम खुरी के खाता संख्या 373 की जमाबंदी संवत 2074–77 प्रदर्श पी1, खाता संख्या 358 की जमाबंदी संवत 2074–77 प्रदर्श पी 2, ग्राम खुरी के खाता संख्या 154, खाता संख्या 315 एवं खाता संख्या 263 की जमाबंदी संवत

2062–65, खाता संख्या 327 एवं खाता संख्या 339 की जमाबंदी संवत 2066–69, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर का परिपत्र दिनांक 08.01.2020 प्रदर्श पी 3, ग्राम खुरी की जमाबंदी संवत 2074–77 प्रदर्श पी 4 व पी 5, ग्राम खुरी की खाता संख्या 362 की जमाबंदी संवत 2070–72 प्रदर्श पी 6 व जमाबंदी सवंत 2070–73 प्रदर्श पी 7 पेश किये गये।

4. अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम खुरी की विवादित आराजी खाता संख्या 373 किता 9 रकबा 6.57 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का 7/20 हिस्सा दर्ज है और यह वादीगण की पैतृक संपत्ति है जो वादीगण के पिता को विरासत में प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार ग्राम खुरी की विवादित आराजी खाता संख्या 358 कुल किता 5 कुल रकबा 1.92 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है और वादीगण की पैतृक आराजी है। विवादित आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 सम्पूर्ण विवादित आराजी को बैचान एवं खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादी क्रम 1 को कोई अधिकार नहीं है। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि राजस्व विभाग जयपुर ने कृषि जोत के पिता के जीवनकाल में पुत्र/पुत्रियों में विभाजन के संबंध में विभिन्न परिपत्र व आदेश जारी कर पिता के जीवनकाल में पैतृक कृषि आराजी में पुत्र पुत्रियों को खातेदारी अधिकार दिये जाकर खाता विभाजन किये जाने के प्रावधान किये हुए है। अतः विवादित आराजी में वादीगण को हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार नोशनल शेयर पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि मेने विवादित पैतृक आराजी में वादीगण के हिस्से को पहले से ही वादीगण को दे रखा है। विवादित आराजी को न मैंने बेचा है और ना ही खुर्द बुर्द किया है। वादीगण को उनके नोशनल हिस्से व कब्जे की आराजी पर खातेदारी अधिकार दिये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी क्रम 4 ने भी वादीगण को उनके नोशनल शेयर पर खातेदारी दिये जाने पर सहमति व्यक्त की है।

5. अभिभाषक वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम खुरी की जमाबन्दी संवत 2074–77 प्रदर्श पी 1 के अनुसार खाता संख्या 373 किता 9 रकबा 6.57 है0 भूमि

प्रतिवादी क्रम 1 शिवप्रसाद एवं सत्यनारायण पुत्र शिवचरण के खाते दर्ज है जिसमे प्रतिवादी क्रम 1 का 7/20 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 2 अनुसार ग्राम खुरी के खाता संख्या 358 किता 5 रकबा 1.92 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 शिवप्रसाद पुत्र रामप्रसाद के खाते दर्ज है। ग्राम खुरी की जमाबंदी संवत 2062–65 के खाता संख्या 154 किता 12 रकबा 9.24 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते दर्ज है जिसमें उसका हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2062–65 के खाता संख्या 263 किता 4 रकबा 3.09 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते दर्ज है जिसमें उसका 1/3 हिस्सा दर्ज है। जमाबंदी संवत 2062–65 के अनुसार खाता संख्या 315 किता 2 रकबा 0.89 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 शिवजी पुत्र रामप्रसाद जाति मीना के खाते दर्ज है। ग्राम खुरी की जमाबंदी संवत 2066–69 अनुसार खाता संख्या 339 किता 9 रकबा 6.57 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते दर्ज है जिसमें उसका हिस्सा 7/20 दर्ज रिकार्ड है। ग्राम खुरी की जमाबंदी संवत 2066–69 अनुसार खाता संख्या 327 किता 5 रकबा 1.92 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा भी इकबाली जवाब पेश कर उक्त विवादित आराजी को स्वयं पैतृक संपत्ति स्वीकार कर वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को दिये जाने पर सहमति दी है। अतः वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 की बहस से यह तथ्य निर्विवादित है कि विवादित आराजी वादीगण की पैतृक संपत्ति है। वाद पत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रम 2 सत्यनारायण से वादीगण द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

क्या अब न्यायालय के सामने प्रश्न है कि क्या किसी हिन्दू काश्तकार के जीवनकाल में उसके कानूनी वारीसान उसकी पैतृक संपत्ति में अपना हक व अधिकार प्राप्त कर सकते है या नहीं ? इस संबंध में वादीगण द्वारा पेश राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप 6) विभाग जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.5(1)राजस्व–6/97/18 दिनांक 18.01.2007 एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 का अवलोकन किया गया। उक्त परिपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि हिन्दू धर्म में पुत्र को अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की संपत्ति में पुत्र/पुत्री को जन्म से ही अधिकार होता है इसलिए पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ साथ पुत्र/पुत्री भी सहकृषक होते है चाहे राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन नहीं भी हो, इसलिए पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है।

यदि पैतृक भूमि के जोत का विभाजन के संबंध में पिता या पुत्र/पुत्री सहमत नहीं हो तो ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोत का विभाजन कराया जा सकता है।

6. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 20 का अवलोकन निम्नानुसार है–

"**Section 20**- A child who was in the womb at the time of the death of an intestate and who is subsequently born alive shall have the same right to inberit to the intestate as if he or she had been born before the death of the intestate, and the inberitance shall be deemed to vest in such a case with effect from the date of the death of the intestate".

7. प्रतिवादी क्रम 1 के कानूनी वारीसान के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पेश वारिसान प्रमाण पत्र एवं वादीगण द्वारा पेश शपथ पत्र के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रतिवादी क्रम 1 के एक पुत्र वादी क्रम 1 एवं तीन पुत्रियां–वादी क्रम 2 ता 4 है। अतः धारा 20 के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 की विवादित पैतृक संपत्ति में वादीगण का हिस्सा 1/5–1/5 यानी कुल 4/5 हिस्सा जन्म से ही निहित है।

8. उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा पेश इकबाली जवाब के आधार पर वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.01.2020 के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर0टी0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम खुरी तहसील अटरू की विवादित आराजी **खाता संख्या 373** के ख0नं0 27 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 28 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 30 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 35 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 58 का रकबा 1.32 है0, ख0नं0 59 का रकबा 4.46 है0, ख0नं0 634 का रकबा 0.26

है0, ख0नं0 635 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 971 का रकबा 0.05 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 6.57 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के दर्ज हिस्से 7/20 में से प्रत्येक वादी को 7/100–7/100 (1/5 गुणा 7/20) एवं **खाता संख्या 358** के ख0नं0 256 का रकबा 0.58 है0, ख0नं0 257 का रकबा 0.51 है0, ख0 नं0 688 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 689/1511 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 690/1533 का रकबा 0.38 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.92 है0 आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में प्रत्येक वादी को 1/5–1/5 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 56/2023 **दायर दिनांकः 22/06/2023**

रजि0 नं0–2023/111

उनवान

1. निर्मल कुमार आयु 37 वर्ष पुत्र शिवप्रसाद जाति मीणा
2. कोमल आयु 25 वर्ष पुत्र शिवप्रसाद जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू
3. रीना आयु 29 वर्ष पुत्री शिवप्रसाद जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू
4. अर्चना आयु 20 वर्ष पुत्री शिवप्रसाद जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. शिवप्रसाद आयु 56 वर्ष पुत्र रामप्रसाद जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू
2. सत्यनारायण पुत्र शिवचरण जाति गुसाई निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. शाखा प्रबंधक महोदय एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा अटरू जिला बारां राज0।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 92ए आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

प्रतिवादीः– प्रतिवादी क्रम 1 स्वयं

पेरोकार सरकार प्रतिवादी क्रम 4

मिनजानित मुदई रूबरू .....ग.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम खुरी तहसील अटरू की विवादित आराजी **खाता संख्या 373** के ख0नं0 27 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 28 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 30 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 35 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 58 का रकबा 1.32 है0, ख0नं0 59 का रकबा 4.46 है0, ख0नं0 634 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 635 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 971 का रकबा 0.05 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 6.57 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के दर्ज हिस्से 7/20 में से प्रत्येक वादी को 7/100–7/100 (1/5 गुणा 7/20) एवं **खाता संख्या 358** के ख0नं0 256 का रकबा 0.58 है0, ख0नं0 257 का रकबा 0.51 है0, ख0 नं0 688 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 689/1511 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 690/1533 का रकबा 0.38 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.92 है0 आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में प्रत्येक वादी को 1/5–1/5 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ..... मुबालिक ..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.07.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)